न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 49/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मोहब्बतपुरी पुत्र नरसापुरीजी, जाति स्वामी, निवासी आलावा 'सी' तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर 2. पटवारी हल्का डोडीयाली तहसील आहोर (जालोर)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 08/04/19

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2017 बउनवान मोहब्बतपुरी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा आलावा सी पटवारी क्षेत्र डोडीयाली के वर्तमान खसरा नंबर 146 रकबा 0.53 हैक्टर, किसम बारानी दोयम, खसरा नंबर 147 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 148 रकबा 1.27 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 84 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम आराजी की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का आधार यह था कि अपीलांट का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

जागीरदार प्रथा से चला आ रहा है। तथा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार का अपीलांट जुर्माना भुगतान करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए, ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा सरहद मौजा आलावा सी पटवारी क्षेत्र डोडीयाली के वर्तमान खसरा नंबर 146 रकबा 0.53 हैक्टर, किसम बारानी दोयम, खसरा नंबर 147 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 148 रकबा 1.27 हैक्टर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 84 रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी दोयम पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा अपने कथनों के समर्थन में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावजात् को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है। जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा प्रकरण संख्या 48/2017 बउनवान मोहब्बतपुरी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही